



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2320 वर्ष 2026

कांस्टेबल फायरमैन सुशील कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता	: अरविन्द कुमार तिवारी
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. तिवारी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याची का कथन है कि वह दिनांक 31.12.2001 को भारतीय सेना में सिपाही के पद पर नियुक्त हुआ था तथा दिनांक 31.12.2018 को सेवा से मुक्त किया गया। तत्पश्चात कांस्टेबल फायरमैन के पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अनुपालन में दिनांक 01.09.2021 को उसकी नियुक्ति हुई। याची द्वारा पूर्व में वेतन संरक्षण, जो भारतीय सेना में की गई सेवा से संबंधित है, प्रदान किए जाने हेतु रिट-ए संख्या 16634 वर्ष 2023 योजित की गई थी, जिसे अभ्यावेदन के निस्तारण हेतु निर्देश के साथ निस्तारित किया गया। याची का दावा दिनांक 23.07.2024 के आदेश द्वारा, जो कि डी.आई.जी. स्थापना, उ.प्र. पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पारित किया गया, इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि याची को दिनांक 23.12.2020 के शासनादेश के उपरांत प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के निर्णय, रिट-ए संख्या 10689 वर्ष 2024 (सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) का अवलम्ब लिया गया है, जिसमें दिनांक 23.12.2020 के शासनादेश में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के संबंध में की गई वर्गीकरण को अस्वीकार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि विशेष अपील संख्या 1233 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एवं 3 अन्य) में राज्य सरकार की अपील निरस्त हो जाने के कारण विवादित प्रश्न अब आच्छादित हो चुका है।

3. उपर्युक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका योजित की गई है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव, प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह निवेदन करते हैं कि वर्तमान प्रकरण, सीता राम शर्मा (उपरोक्त) के निर्णय द्वारा आच्छादित है, जिसे विशेष अपीलीय पीठ द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

5. बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि याचीगण भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्हें नियुक्त किया गया है। **सीता राम शर्मा (उपरोक्त)** में निम्न प्रकार से कहा गया है:-

“1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत योजित उपर्युक्त रिट याचिकाओं द्वारा, याचीगण, जो कि उ.प्र. सिविल पुलिस वर्ष 2018 में कांस्टेबल जी.डी. पद हेतु चयनित हुए थे, प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाए गए भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से आहत हैं, जिसमें उन्हें भूतपूर्व सैनिक होने के कारण अंतिम आहरित वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। समस्त याचीगण भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में चयनित एवं नियुक्त हुए हैं तथा उनका कथन है कि यदि एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न समय पर चार बैचों में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, तो राज्य द्वारा प्रथम बैच को वेतन संरक्षण प्रदान करना तथा अन्य बैचों को मात्र इस आधार पर वंचित करना कि शासनादेश द्वारा बाद की तिथि से वेतन संरक्षण समाप्त कर दिया गया है, न्यायसंगत नहीं है।

3. यह निवेदन किया गया है कि चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना था, किन्तु तत्कालीन कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के कारण उ.प्र. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2020 के आदेश से चयनित अभ्यर्थियों को चार बैचों में विभाजित कर विभिन्न तिथियों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। प्रथम बैच को अगस्त 2020 में छह माह की अवधि हेतु, द्वितीय बैच को मार्च 2021 में छह माह की अवधि हेतु, तृतीय बैच को अक्टूबर 2021 में छह माह की अवधि हेतु तथा चतुर्थ बैच को मई 2022 में छह माह की अवधि हेतु प्रशिक्षण पर भेजा गया।

4. वर्तमान वाद में याचीगण द्वितीय बैच से संबंधित हैं, जिनका प्रशिक्षण मार्च 2021 से प्रारंभ होकर सितंबर 2021 तक चला। जब प्रथम बैच का प्रशिक्षण पूर्ण हो रहा था, उस समय उनकी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियुक्ति आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2020 के शासनादेश के पूर्व निर्गत हो चुके थे, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण अब प्रदान नहीं किया जाएगा तथा यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त शासनादेश का प्रासंगिक अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 22 में निहित है, निम्नवत उद्धृत किया जाता है:-”

“उपर्युक्त प्रस्तर-1 में विनत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनरोज्जगार किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनरोज्जगार होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनरोज्जगार हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनरोज्जगारित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय (ignored) है, का वेतन पुनरोज्जगार के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय (ignored) नहीं है, उनमें पुनरोज्जगार पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु-

(i) यदि पुनरोज्जगार के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि पुनरोज्जगार के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनरोज्जगार के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(iii) यदि पुनरोज्जगार के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनरोज्जगार के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनरोज्जगारित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

4- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनरोज्जगारित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरुद्घाटित नहीं किये जायेंगे।”

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम बैच द्वारा जनवरी, 2021 में प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के उपरांत उन्हें वेतन संरक्षण प्रदान किया गया, तथा उदाहरणस्वरूप नवीन रूप से चयनित कांस्टेबल कुलदीप सिंह (पी.एन.ओ. संख्या 202641386) के वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2024 को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। यह भी तर्क किया गया कि जब प्रथम बैच को उक्त लाभ प्रदान किया जा चुका, तब द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बैच के अभ्यर्थियों, जो कि सभी भूतपूर्व सैनिक थे, को उक्त लाभ से वंचित रखना विधि सम्मत नहीं है।

6. उपर्युक्त कथन रिट याचिका के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित हैं, जिसमें अन्य कांस्टेबलों का विवरण भी दिया गया है जिन्हें भूतपूर्व सैनिक होने के नाते अंतिम आहरित वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान किया गया। इसके प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिवेदन (काउंटर शपथपत्र) के अनुच्छेद 16 में यह कथन किया गया है कि कांस्टेबल कुलदीप सिंह (पी.एन.ओ. संख्या 202641386) की नियुक्ति दिनांक 11.10.2020 को उस समय हुई जब शासनादेश दिनांक 26.08.1977 एवं 18.05.1983 प्रभावी थे। वर्तमान में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.12.2020 प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा जिन भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति उक्त शासनादेश की तिथि के पश्चात हुई है, वे इसी शासनादेश से आच्छादित होंगे।

7. प्रतिवेदन के अनुच्छेद 14 के उपर्युक्त अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुलदीप सिंह, यद्यपि प्रथम बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए थे, तथापि उनकी नियुक्ति दिनांक 11.10.2020 को हुई, जब पूर्ववर्ती शासनादेश प्रभावी थे, अतः उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। किन्तु दिनांक 23.12.2020 के शासनादेश के प्रवर्तन के उपरांत, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन पर पूर्ववर्ती वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाना निर्धारित किया गया, जिसके कारण वर्तमान याचीगण को उक्त लाभ से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य है कि याचीगण को वेतन संरक्षण से केवल इस आधार पर वंचित किया गया कि उनका प्रशिक्षण प्रथम बैच के पश्चात पूर्ण हुआ, जबकि वे भी उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षु थे, जो पश्चातवर्ती रूप से कांस्टेबल नियुक्त हुए। समस्त अभ्यर्थी वर्ष 2018 की एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित हुए थे, अतः वेतन समता का दावा किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा शासनादेश के आधार पर वेतन संरक्षण से वंचित करने की कार्यवाही का समर्थन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्रसाद, (2022) 5 एस.सी.सी. 461 पर निर्भरता व्यक्त की गई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित करने संबंधी केंद्रीय नियमों को वैध ठहराया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सरकार की कार्यवाही में कोई दोष नहीं है तथा इसे न तो मनमाना और न ही भेदभावपूर्ण कहा जा सकता है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 4.5 का सार इस प्रकार है कि सरकारी सेवा में पुनर्नियोजन के समय वेतन निर्धारण सी.सी.एस. आदेश, 1986 के पैरा 8 के अनुरूप होगा तथा यह उपबंधित नहीं है कि भूतपूर्व सैनिक को पुनर्नियोजन पर उसके अंतिम आहरित वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाए; अन्यथा यह पैरा 8 का उल्लंघन होगा। अतः उच्च न्यायालय द्वारा विपरीत दृष्टिकोण अपनाना त्रुटिपूर्ण ठहराया गया।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत यह प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिका में मूलतः चुनौती भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन पर वेतन संरक्षण से वंचित करने संबंधी शासनादेश के प्रावधान से अधिक, याचीगण के साथ किए गए भेदभाव के विरुद्ध है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (2024) 0 एस.सी. 764 के निर्णय पर बल दिया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि केवल इस कारण कि परामर्श में विलंब हुआ या वह भिन्न चरणों में आयोजित हुआ, समान चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों के मध्य भेदभाव नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 15 का आशय यह है कि एक ही शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले समान वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य भेदभाव करना अनुचित है; यदि प्रथम चरण में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया गया, तो पश्चातवर्ती चरण के विद्यार्थियों को उससे वंचित नहीं किया जा सकता। यही सिद्धांत समान रूप से वर्तमान वाद में भी लागू होता है।

11. अतः इस वाद में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्व में भेजे जाने के कारण वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया, उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित याचीगण को, जिन्हें कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण विभिन्न बैचों में पश्चातवर्ती समय पर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, उक्त लाभ से वंचित किया जा सकता है। प्रत्यर्थागण की ओर से इस तथ्य का कोई खंडन नहीं है कि याचीगण, जिन्हें द्वितीय बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथा तत्पश्चात कांस्टेबल (जीडी), उ.प्र. पुलिस के पद पर नियुक्त किया गया, वे सभी उसी विज्ञापन एवं उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित हुए थे। प्रशिक्षण, नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा चयन सूची के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना नियुक्ति की प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। अतः चयन सूची के प्रकाशन के पश्चात चयन की कोई अन्य अवस्था शेष नहीं रहती। इस प्रकार प्रशिक्षण, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा है। अतः न्यायालय के विचार में, यदि प्रत्यर्थागण ने प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में प्रशिक्षुओं को विभिन्न समूहों/बैंचों में विभाजित कर विभिन्न तिथियों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा तथा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उन्हें नियुक्ति प्रदान की, तो सेवा लाभों, जैसे वेतनमान, भत्ते एवं अन्य पारिश्रमिक के संबंध में उनके मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। वरिष्ठता के प्रश्न में भी चयन सूची का ही अनुपालन किया जाना है। मनीलाल पूर्वोक्त के निर्णय द्वारा याचीगण का प्रकरण पूर्णतः आच्छादित है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि समान वर्ग के सदस्यों के मध्य भेदभाव अनुमन्य नहीं है। अतः एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थी एक समान वर्ग का गठन करते हैं तथा उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण की परिणति मात्र है, बशर्ते कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अयोग्य घोषित न किया जाए। एक बार जब समान वर्ग को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, तब उसके सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना अनिवार्य है।

12. प्रशिक्षण हेतु विभिन्न समूहों/बैंचों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि यह समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को सेवा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से युक्तिसंगत वर्गीकरण नहीं है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि असमान को समान रूप से तथा समान को असमान रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता; समान स्थिति वाले व्यक्तियों को वेतन समता एवं सेवा लाभों के संबंध में समान व्यवहार प्राप्त होना चाहिए।

13. फीरंगी प्रसाध बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2011) 2 यूपीएलबीईसी 987 के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी की त्रुटि के कारण याचीगण को प्रतिकूल स्थिति में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि उक्त वाद नियमितीकरण से संबंधित था, तथापि वहाँ नियुक्ति आदेशों के विलंब से निर्गमन के बावजूद, कट-ऑफ तिथि के पश्चात होने पर भी सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त निर्णय का अनुसरण महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(रिट ए संख्या 55606 वर्ष 2008), निर्णय दिनांक 19.12.2019 में भी किया गया, जिसमें एक ही विज्ञापन के अंतर्गत चयनित समस्त अभ्यर्थियों को समान वर्ग मानते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया, क्योंकि विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया पुरानी पेंशन योजना के समाप्त होने से पूर्व संपन्न हुई थी, यद्यपि नियुक्ति आदेश बाद में निर्गत हुए थे।

14. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, यद्यपि इस न्यायालय को भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण से वंचित करने संबंधी शासनादेश में अपने आप में कोई भेदभाव प्रतीत नहीं होता, तथापि उक्त शासनादेश केवल उन मामलों में लागू होगा, जहाँ अभ्यर्थियों का चयन उसके निर्गमन के पश्चात हुआ हो। जो अभ्यर्थी चयनित होकर प्रशिक्षण हेतु भेजे गए और जिन्हें अंततः नियुक्ति प्रदान की जानी थी, वे सभी एक समान वर्ग का गठन करते हैं तथा वे वेतन संरक्षण सहित समस्त सेवा लाभों के अधिकारी होंगे; उनका दावा उक्त शासनादेश से प्रभावित नहीं होगा।

15. जहां तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का संबंध है, उसके विधिक सिद्धांतों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। तथापि, इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान वाद की विशेष परिस्थितियों में शासनादेश को निरस्त करना आवश्यक नहीं है, अपितु यह प्रतिपादित किया जाता है कि उक्त शासनादेश वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

16. उपर्युक्त के आलोक में, रिट याचिका सफल होती है तथा स्वीकृत की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह निर्देशित किया जाता है कि याचीगण को अंतिम आहरित वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का वही लाभ प्रदान करें, जैसा कि उ.प्र. पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया है। इस संबंध में उपर्युक्त आदेश पारित किया जाए तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर याचीगण को समस्त परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं।

7. तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य पूर्वोक्त में निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया है:-

“1. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल, जिनकी सहायता विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री तेज भानु पांडेय द्वारा की गई, तथा प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा, जिनकी सहायता श्री सत्येन्द्र चन्द्र त्रिपाठी एवं श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई, को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. समस्त अपीलें दिनांक 09.04.2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध योजित की गई हैं, जो कि रिट ए संख्या 10689 वर्ष 2024 (सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) के साथ संयुक्त रूप से निर्णीत याचिकाओं से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा योजित रिट याचिकाएं स्वीकृत की गईं तथा वर्तमान अपीलार्थी संख्या 3 को निर्देशित किया गया कि वे याचीगण को अंतिम आहरित वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का वही लाभ प्रदान करें, जैसा कि उ.प्र. पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया है, तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं।

3. अपीलार्थी, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा समस्त अपीलों में समान विधिक प्रश्न उठाया गया है, अतः सभी अपीलों को एक साथ सुना गया तथा इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। समस्त अपीलों में निहित मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन सूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को, उनके नियुक्ति पत्र की तिथि अथवा प्रशिक्षण हेतु निर्दिष्ट तिथि के आधार पर भिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि प्रत्येक अपील में अभ्यर्थियों के सेवा विवरण, नियुक्ति पत्र की तिथि एवं प्रशिक्षण की तिथि में भिन्नता हो सकती है, तथापि मूल प्रश्न समान है।

4. सुविधा की दृष्टि से तथ्य विशेष अपील संख्या 1240 वर्ष 2025 से लिए जा रहे हैं, जो कि दिनांक 09.04.2025 के निर्णय में प्रमुख याचिका थी, तथापि वर्तमान सामान्य आदेश का प्रभाव समस्त संबंधित वादों पर समान रूप से लागू होगा। विभिन्न अपीलों में केवल प्रत्यर्थियों/अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर है।

5. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि समस्त प्रत्यर्थी भूतपूर्व भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न समय पर विभिन्न रेजीमेंटों में सेवा की तथा अपनी सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत सेवा से मुक्त हुए। यद्यपि उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधि में भिन्नता हो सकती है, तथापि यह निर्विवाद तथ्य है कि सभी प्रत्यर्थियों ने सैन्य सेवा पूर्ण कर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन प्राप्त किया तथा एक ही चयन सूची में स्थान प्राप्त किया, जो इन अपीलों का विषय है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अक्टूबर 2018 की प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत तैयार की गई चयन सूची से नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होती, क्योंकि प्रशिक्षण, नियुक्ति प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण राज्य के लिए यह आवश्यक हो गया कि चयनित अभ्यर्थियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों के अनुरूप नियुक्ति पत्र भिन्न-भिन्न तिथियों पर निर्गत किए गए। उ.प्र. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिनांक 25.07.2020 के आदेश से चयनित अभ्यर्थियों को चार बैचों में विभाजित किया गया, जिनमें प्रथम बैच को अगस्त 2020 में छह माह की अवधि हेतु, द्वितीय बैच को मार्च 2021 में छह माह की अवधि हेतु, तृतीय बैच को अक्टूबर 2021 में छह माह की अवधि हेतु तथा चतुर्थ बैच को मई 2022 में छह माह की अवधि हेतु प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

7. विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनुसार राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विभिन्न बैचों में भिन्न-भिन्न समय पर प्रशिक्षण हेतु भेजे गए अभ्यर्थियों के लिए पृथक वेतन संरचना निर्धारित करे तथा यह भी उचित है कि प्रथम बैच को प्रदान किए गए वेतन संरक्षण का लाभ अन्य बैचों को न दिया जाए। यह भी तर्क दिया गया कि चयन सूची को प्रत्येक उद्देश्य हेतु एक समान वर्ग नहीं माना जा सकता तथा राज्य को यह अधिकार है कि वह प्रथम बैच, जिसने अन्य बैचों से पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण किया, को शेष बैचों से पृथक वर्ग के रूप में मान्यता दे।”

8. यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रथम बैच, जिसने जनवरी 2021 में प्रशिक्षण पूर्ण किया, को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक ही चयन सूची से चयनित अभ्यर्थियों को, विभिन्न बैचों में होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे में अनुमन्य है, तथा राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विभिन्न समय पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने वाले चारों बैचों के लिए पृथक वेतन संरचना निर्धारित कर सके।

9. अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अपर महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर निर्भरता व्यक्त की, जिसे संदर्भ की सुविधा हेतु उद्धृत किया गया है। उक्त नियम के अनुसार, नियम 15 एवं 16 के अंतर्गत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा प्रशिक्षण के दौरान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मैनुअल के प्रावधान लागू होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन निरस्त किया जा सकता है। साथ ही, प्रशिक्षण में असफल अभ्यर्थियों के लिए अनुपूरक प्रशिक्षण एवं पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा पुनः असफल होने की स्थिति में उनकी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सेवा समाप्त करने का अधिकार भी सक्षम प्राधिकारी को प्रदान किया गया है। पदोन्नति से नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए भी निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है।

10. विद्वान अपर महाधिवक्ता का यह भी कथन है कि कांस्टेबल पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना एवं उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा उनका चयन निरस्त किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि नियमावली के अंतर्गत प्राधिकरण को अनुपूरक प्रशिक्षण एवं पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उसमें असफल रहने वाले अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अतः जब तक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक राज्य को वेतन संरचना में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जा सकती।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य की उक्त कार्यवाही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यर्थीगण वर्ष 2018 में आरंभ हुई भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सिविल पुलिस एवं पी.ए.सी. में कांस्टेबल पदों हेतु चयनित हुए तथा मार्च 2020 में घोषित परिणाम में उन्हें भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में स्थान दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 23.12.2020 का शासनादेश, जिसके अनुसार उक्त तिथि के पश्चात की गई नियुक्तियों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, विशेषकर तब जब सभी अभ्यर्थी एक ही चयन सूची में सम्मिलित हैं। यह भी निर्विवाद है कि प्रथम चरण में नियुक्त अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया, जिसे राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है।

12. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 2024 एस.सी. 4404 तथा महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट ए संख्या 55606 वर्ष 2008, निर्णय दिनांक 19.12.2019) के निर्णयों पर भी निर्भरता व्यक्त की। यह तर्क दिया गया कि एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित समस्त अभ्यर्थी एक समान वर्ग का गठन करते हैं तथा इस वर्ग के भीतर किसी भी प्रकार का भेदभाव, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ऐसा भेद केवल किसी तर्कसंगत भिन्नता के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है, जो कि वर्तमान प्रकरण में विद्यमान नहीं है।

13. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रशिक्षण, अर्थात् उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियम 19 के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह सही रूप से प्रतिपादित किया गया है कि प्रशिक्षण, चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक प्रक्रिया मात्र है तथा चयन सूची के तैयार हो जाने के उपरांत चयन की कोई अन्य अवस्था शेष नहीं रहती, जब अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। उन्होंने आगे नियम 18, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 पर भी निर्भरता व्यक्त की, जिसे सुविधा की दृष्टि से निम्नवत उद्धृत किया जाता है:-

नियम - 18. नियुक्ति.

(1) नियम 15 एवं 16 के उपबंधों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 15 के उपबंध (g) के अंतर्गत तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम जिस क्रम में हैं, उसी क्रम में नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत करेगा कि वे पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर अथवा नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट किसी तिथि पर सेवा/प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

परंतु यह उपबंधित है कि जो कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के किसी पद पर नियुक्त किया गया है तथा उस पद पर कार्यरत है, उसे इन नियमों के अधीन विधिवत नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के अंतर्गत किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाते हैं, तो एक समेकित आदेश भी निर्गत किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम चयन में निर्धारित वरिष्ठता के क्रम के अनुसार अथवा, यथास्थिति, उस संवर्ग में उनकी स्थिति के अनुसार अंकित किए जाएंगे, जिससे वे पदोन्नत किए गए हैं।

यह भी उपबंधित है कि जो कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के किसी पद पर नियुक्त होकर उस पद पर कार्यरत है, उसे इन नियमों के अधीन विधिवत नियुक्त माना जाएगा तथा ऐसी नियुक्ति को इन नियमों के अंतर्गत ही की गई नियुक्ति माना जाएगा।

14. उपर्युक्त प्रावधानों पर निर्भरता व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि नियम 18 के अनुसार नियम 15 एवं 16 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है, तथा उसके पश्चात ही नियम 19 के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना आवश्यक होता है। अतः नियमों की समग्र योजना से यह स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण से पूर्व निर्गत होता है, और इस प्रकार प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंग नहीं माना जा सकता, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी सही रूप से प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के पश्चात संपादित किया जाता है।

15. हमने अपीलार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों, जिनमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष भी सम्मिलित हैं, का अवलोकन किया। कुछ आधारभूत तथ्य विवादित नहीं हैं। सभी अभ्यर्थी, चाहे उन्हें प्रशिक्षण हेतु किसी भी बैच में पश्चातवर्ती रूप से भेजा गया हो, अक्टूबर 2018 में जारी एक ही भर्ती विज्ञापन के अनुसरण में चयनित हुए थे। चयन सूची समान थी, चयन प्रक्रिया एकरूप थी तथा नियुक्तियां उसी भर्ती प्रक्रिया से अभिन्न रूप से संबद्ध थीं।

16. अभिलेखों के साधारण अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की उसी प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुई थी। यह भी किसी पक्ष का मामला नहीं है कि उक्त विज्ञापन या चयन सूची में किसी प्रकार का वर्गीकरण अथवा श्रेणीगत भेद निर्धारित किया गया हो। इसके अतिरिक्त, राज्य यह प्रदर्शित करने में असफल रहा है कि अभ्यर्थियों को चार विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण हेतु भेजना किसी युक्तिसंगत वर्गीकरण पर आधारित था।

17. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रशिक्षण को विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाना केवल अपीलार्थी राज्य की आधारभूत संरचनात्मक सीमाओं तथा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात परिस्थितियों के कारण आवश्यक हुआ था, न कि चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य किसी तर्कसंगत भिन्नता के कारण। अतः पश्चातवर्ती बैचों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ से वंचित करना पूर्णतः मनमाना है तथा यह प्रतिकूल भेदभाव से ग्रस्त है।

18. विद्वान अपर महाधिवक्ता के तर्क का आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने स्वयं ही चार पृथक श्रेणियों का निर्माण कर दिया, जिससे राज्य को विभिन्न बैचों के लिए पृथक वेतन संरचना निर्धारित करने तथा पश्चातवर्ती बैचों के अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण से वंचित करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

19. यद्यपि यह न्यायालय महामारी संबंधी परिस्थितियों एवं आधारभूत संरचनात्मक सीमाओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तथापि ऐसी बाह्य एवं अस्थायी प्रशासनिक विवशताएं, समान वर्ग के अभ्यर्थियों के मध्य भिन्न व्यवहार का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकतीं। अनुच्छेद 14 के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंतर्गत अनुमेय वर्गीकरण के संबंध में विधिक स्थिति पूर्णतः स्थापित है तथा जब उक्त मानकों पर परीक्षण किया जाता है, तो अपीलार्थी राज्य द्वारा प्रस्तुत औचित्य टिक नहीं पाता।

20. वेस्ट बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, (1952) 1 एस.सी.सी. 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित अथवा मायावी नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता की कसौटी पर खरा उतरने हेतु वर्गीकरण किसी स्पष्ट एवं तर्कसंगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए, जिसका उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध हो। अन्यथा ऐसा वर्गीकरण अस्वीकार्य भेदभाव को जन्म देता है।

21. सीधी भर्ती क्लास-II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1990) 2 एस.सी.सी. 715 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि एक ही भर्ती अधिसूचना एवं चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सेवा लाभों के उद्देश्य से एक ही वर्ग का गठन करते हैं। वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में यह भी कहा गया कि नियुक्ति नियमों के अनुसार होने पर वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होगी, न कि पुष्टि (confirmation) की तिथि से। उक्त सिद्धांत के अनुप्रयोग से यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि को, एक ही चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य उप-वर्ग (sub-class) बनाने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता।

22. अपीलार्थियों द्वारा ऐसा कोई वैधानिक नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो राज्य को चयन सूची के भीतर वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण के उद्देश्य से उप-श्रेणियां निर्मित करने का अधिकार प्रदान करता हो। वस्तुतः, राज्य का स्वयं का कथन यह है कि प्रशिक्षण हेतु चरणबद्ध प्रेषण केवल प्रशासनिक आवश्यकता के कारण किया गया था। प्रशासनिक आवश्यकता, चाहे वह वास्तविक ही क्यों न हो, संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुमेय वर्गीकरण का आधार नहीं बन सकती। अन्यथा, इससे राज्य को मनमाने अथवा आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समान अधिकारों को खंडित करने की अनुमति मिल जाएगी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकार किया गया है।

23. अतः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना पूर्णतः न्यायोचित था कि प्रत्यर्थीगण एवं अन्य समान रूप से स्थित अभ्यर्थी, जो अक्टूबर 2018 की उसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हुए थे, उन्हें उन सेवा लाभों एवं वेतन संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, जो प्रशिक्षण हेतु पूर्व में भेजे गए प्रथम बैच को प्रदान किए गए थे। संवैधानिक मानकों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के स्वतंत्र परीक्षण के उपरांत भी हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

24. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हमारा यह मत है कि अपीलार्थी राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य, केवल इस आधार पर कि उन्हें प्रशिक्षण हेतु भिन्न-भिन्न तिथियों पर भेजा गया, किया गया विभेदन, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए एक अस्वीकार्य वर्गीकरण है।

25. राज्य द्वारा प्रथम बैच को प्रदान किए गए वेतन संरक्षण तथा उससे संबंधित वेतन संरचना का लाभ, उसी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित तथा उसी चयन सूची में सम्मिलित द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बैच के अभ्यर्थियों से वंचित नहीं किया जा सकता।

26. अतः हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते। फलतः, विशेष अपीलों का यह समूह असफल होता है तथा निरस्त किया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थीगण एवं अन्य समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण तथा परिणामी लाभ प्रदान करने हेतु दिए गए निर्देश की पुष्टि की जाती है। राज्य इस आदेश की तिथि से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

27. लंबित प्रार्थनापत्र, यदि कोई हों, निरस्त किए जाते हैं।”

8. तदनुसार, दिनांक 23.07.2024 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रेषित किया जाता है, ताकि उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दो माह की अवधि के भीतर नवीन आदेश पारित किया जा सके।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

17 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”